

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर


क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/5843

दिनांक: 10/06/16

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 की उप-धारा (2) सपटित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक संभाग के सम्भागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत (Authorized) किया जाता है।



Purushottam Biyani
Director & Special Secretary
Local Self Govt. Department
Raj Jaipur

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/5844-6274
प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 10/06/16

- 01.निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वा0 शा0 जयपुर।
- 02.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वा0 शा0 जयपुर।
- 03.निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय निदेशालय।
- 04.संभागीय आयुक्त, समस्त।
- 05.उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त।
- 06.महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
- 07.आयुक्त/अधिसूचना अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
- 08.अधीक्षक,केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज0 राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
- 09.समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण निदेशालय।
- 10.सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी